(10)

न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 05/2022 बउनवानी प्रेम देवी बनाम लो.सू.अधि.एवं उपजिला कले. मलारना डूँगर द्वारा–प्रभूदयाल एडवोकेट हाउस नम्बर,26 पुरोहित जी की टापरी कोटा–34002

GCMS No-2022/05 **On line Appeal No- 321725277624740**

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
08.02.2022	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर मलारना डूँगर की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 13.8.2021 को लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर मलारना डूँगर के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः– 1- न्यायालय उपजिला कलेक्टर मलारना डूँगर की वाद संख्या 76/1985 की प्रमाणित प्रति। 2- न्यायालय उपजिला कलेक्टर मलारना डूँगर की वाद संख्या 84/1981 की प्रमाणित प्रति। 3- न्यायालय उपजिला कलेक्टर मलारना डूँगर की वाद संख्या 84/1981 मे संलग्न दस्तावेजात की प्रमाणित प्रति। 4- न्यायालय उपजिला कलेक्टर मलारना डूँगर की वाद संख्या 51/2017 रामचन्द्र बनाम सुखचन्द से संबंधित पत्रावली की प्रमाणित प्रति। 5- न्यायालय उपजिला कलेक्टर मलारना डूँगर की वाद संख्या 51/2017 रामचन्द्र बनाम सुखचन्द से संबंधित पत्रावली मे कितने पृष्ठ है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर मलारना डूँगर द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर मलारना डूँगर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी। नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर मलारना डूँगर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांकः सूकाअ/2021/3259 दिनांक 20.1.2022 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 13.8..2021 के बिन्दु संख्या 1 लगायत 6 पर चाही गयी सूचना जरिये पत्रांक 3036 दिनांक 3.12.2021 से अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है। स्वंय अपीलान्ट द्वारा भी उसको उपलब्ध करवायी गयी सूचना के संबंध मे अवगत कराया कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा वांछित सूचनाऐ उपलब्ध करवायी जा चुकी है इसलिए अपील पर आगे कोई कार्यवाही नही चाहती है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया। पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 13.8.2021 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 लगायत 6 की सूचना लोक सूचना [illegible] के पत्रांक 3036 दिनांक 3.12.2021 से उपलब्ध करवायी जा चुकी है जिसकी पुष्टि [illegible] अपीलान्ट द्वारा दिनांक 31.1.2022 को प्रार्थना पत्र प्रेषित करते हुए की गयी है। चूंकि चाही [illegible] सूचना लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलान्ट को उपलब्ध करवा [illegible] अपीलान्ट [illegible] किया जाना उचित समझता हूँ। परिणाम [illegible] अपील अपीलान्ट खारिज की जाती [illegible] पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावें। आदेश खुले न्यायालय मे सुनवाया गया। (सुरेश कुमार ओला) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.03.15 12:11:38 IST
Reason: SelfAttested